

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

09/02/2021 14:25 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

13/05/2016

Date To (दिनांक तक):

07/10/2016

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 09:00

hrs

Time To (समय तक): 04:00

hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/02/2021

Time (समय): 14:25

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

008

Date and Time

(दिनांक और समय):

09/02/2021 14:25

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, .5 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): Ambala,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)): AMBALA (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सोमश कुमार निरीक्षक

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1971

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजेन्द्र पाल		Father's Name: सुमेर चन्द	1. 2066, सैक्टर-7 कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है- सेवा में, थाना प्रबंधक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला। श्री मान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 28.01.2019 अम्बाला महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन 5826/आई-3/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 01.05.2018 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी क्रमांक 614 दिनांक 04.05.2018 अनुसार जांच हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें श्री अंकुर मनोचा पुत्र श्री रविन्द्र मनोचा, वासी म.न. 14, न्यु माडल कालोनी, पुरानी सेशन कोर्ट के पीछे, अम्बाला शहर की शिकायत में अन्य आरोपों के अतिरिक्त यह भी आरोप था कि श्री अतुल कुमार, परियोजना अधिकारी, श्री राजेन्द्र पाल, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला व रामेश्वर बिरथल, परियोजना अधिकारी, हरेडा, पंचकुला द्वारा सोलर पैनल सब्सिडी की फाईलें कलीयर करने की एवज में शिकायतकर्ता से प्रति फाईल 10,000/- रुपये की मांग करके मैसर्स सनशाईन सोलर के खाता संख्या सी.बी.सी.ए./01/000466 से श्री राजेन्द्र पाल अतिरिक्त परियोजना अधिकारी के खाता संख्या एस.बी.आई. न. 000608 में दिनांक 13.05.2016 को 20,006/- रुपये व राशि 50,006/- रुपये दिनांक 07.10.2016 को ट्रांसफर किये गये। आरोप की पड़ताल पर पाया गया है कि श्री राजेन्द्र पाल अतिरिक्त परियोजना अधिकारी वर्ष 2007 से सितम्बर 2017 तक नवीन व नवीकरणीय उर्जा विभाग, अम्बाला में तैनात रहा है। जांच की पड़ताल के दौरान शिकायतकर्ता अंकुर मनोचा द्वारा 18 सोलर पैनल लगाये गये, लगाये गये पैनलों की सब्सिडी जारी कराने के सम्बंध में शिकायतकर्ता श्री अंकुर मनोचा नें श्री राजेन्द्र पाल, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला से मुलाकात की। जिस पर सभी उपभोगताओं के सोलर पैनलों का मौका का निरीक्षण श्री राजेन्द्र पाल अतिरिक्त परियोजना अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण उपरान्त श्री राजेन्द्र पाल, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से उपरोक्त केसों की सब्सिडी विभाग से जारी करवाने हेतु 10,000/- रुपये प्रति फाईल के हिसाब से रिश्त की मांग की गई। इस पर शिकायतकर्ता अंकुर मनोचा नें श्री राजेन्द्र कुमार, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी द्वारा की गई मांग अनुसार 18 सोलर पैनल सब्सिडी फाईलों में से 07 सोलर पैनल की सब्सिडी जारी करवाने की एवज में अपने सन शाईन सोलर फर्म के कोर्पोरेशन बैंक, सैक्टर-7, अम्बाला के खाता संख्या CBCA/01/000466 से श्री राजेन्द्र पाल के भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी रोड, अम्बाला शहर के खाता संख्या 0000608 में दिनांक 13.05.2016 को 20,006/- रुपये की राशि व दिनांक 07.10.2016 को 50,006/-रुपये की राशि स्थानांतरित की गई थी। इसलिये श्री राजेन्द्र पाल, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, अम्बाला के विरुद्ध धारा 7, 13 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था। इस बारे अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 6094/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 26.06.2020 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा उनके कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 47/16/2018-3 चौकसी II दिनांक 12.01.2021 के अनुसार श्री राजेन्द्र पाल उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के आदेश महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक क्रमांक 959/आई-1/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 14.01.2021 प्राप्त हुये हैं। अतः श्री राजेन्द्र पाल, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला हाल नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, मुख्यालय पंचकुला पुत्र श्री सुमेर चन्द वासी म.न. 2066, सैक्टर-07, कुरुक्षेत्र के विरुद्ध धारा 7,13 (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम-1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाये। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिये निरीक्षक रामफल, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला के हवाले की जाये। sd Somesh Kumar. सोमेश कुमार, निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला। अज थाना – लिखिल लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त थाना में प्राप्त होने पर मुकदमा न. 2 दिनांक 09.02.2021 धारा 7,13 पी.सी. एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट बादस्त सि. सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के इलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला की सेवा में भेजी जा रही हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा में बजरिया डाक भिजावाई जायेंगी। नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मय रिकार्ड आगामी अनुसंधान हेतु हवाले निरीक्षक रामफल रा.चौ.ब्युरो अम्बाला की गई। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAM Rank (पद): I (Inspector)
PHAL

No. (सं.): A43 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): O P ARORA

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent
of Police)

No. (सं.): DSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

